न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सीता शर्मा (आर.ए.एस.)

रिमाण्ड प्रकरण सं.– 119/2023 दायरा दिनाकः– 02.06.2023

GCMS No. 2023/309

1. नाथी बेवा जीवणराम
2. हरीराम पुत्र जीवणराम
3. हुक्माराम पुत्र जीवणराम

} अकवाम जाट निवासीयान हिंजरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

4. नोरंगी पुत्री जीवणराम पत्नी भीवराज जाति जाट साकिन 24 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनुपगढ़ राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. केशुराम (फौत) पुत्र सरदाराराम जरिये वारिस :–
   - 1/1 तीजा पत्नी सरदाराराम
   - 1/2 भगवानाराम
   - 1/3 हीराराम
   - 1/4 भारूराम
   - 1/5 पुरखाराम
   - 1/6 खेताराम

   } पिसरान सरदाराराम अकवाम जाट साकिनान हिंजरासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. जैसाराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन हिंजरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3. धन्नाराम(फौत) पुत्र सरदाराराम जाति जाट जरिये वारिस :–
   - 3/1 रूपा पत्नी
   - 3/2 हेमाराम पुत्र
   - 3/3 जगदीश पुत्र
   - 3/4 अनोपराम पुत्र
   - 3/5 लालाराम पुत्र
   - 3/6 अमरचन्द पुत्र
   - 3/7 देवीलाल पुत्र

   } धन्नाराम अकवाम जाट साकिनान हिजरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
4. रेवन्ताराम
5. हुक्माराम
6. पन्नाराम
7. मोहन
8. खीयांराम

} पुत्रगण जमना पुत्री सरदाराराम पत्नी चेतन अकवाम जाट निवासीयान महादेव वाली ढ़ाणी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर राज0

9. चुन्नी पुत्री सरदाराराम पत्नी शेराराम अकवाम जाट साकिनान बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
10. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88–183/209 रा. काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:56 IST
Reason: Self Attested

उपस्थित :– **1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता–वादी**
2. तहसीलदार पैराकारराज

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 12.06.2024

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम ग्राम हिंजरासर की रोही खसरा न. 81 में 27.14 बीघा बारानी व खसरा न. 82 में 5.11 बीघा बारानी तथा चक 4 सी. एम. में प0न0 84/3 के किला न. 25/1 में 0.12 बिस्वा व पत्थर न. 84/11 में किला न. 8, 11 ता 14, 17 अनकमाण्ड, 18 ता 20 में 3.00 बीघा, 21 में 0.17 बिस्वा, 22 में 0.17 बिस्वा, 23 में 0.17 बिस्वा, 24 में 0.17 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 5 सी.एम. के पत्थर न. 84/2 के किला न. 1/0.253 हैक् कमाण्ड, 2 ता 4, 10–11 में 5.00 बीघा व पत्थर न. 84/4 में किला न. 4 ता 7, 14, 15 में 6.00 बीघा रकबा 1/2, 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारान दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण उक्त रकबे को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे थे परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 में ईमानदारी का अभाव होने लगा। वादीगण ने दिनांक 01.07.1992 को प्रतिवादी से स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त भुमि को अच्छी/बुरी के अनुसार बांट लेने चाहिये। प्रतिवादीगण ने वादीगण से कहा कि अभी सावणी की बिजाई का समय आ गया है और बिजाई बाद बांट लेंगे। वादीगण प्रतिवादीगण के आश्वासन पर विश्वास करके समय का इन्तजार करते रहे। जब वादीगण ने अपने 1/2 हिस्से में आने वाली भुमि मौके पर काश्त करने के लिए मांगी तक वादीगण को चक 4 सी.एम. के पत्थर न. 84/11 के किला न. 8, 11 ता 14, 17 में 6.00 बीघा अनकमाण्ड काश्त करने हेतु दी और ग्राम हिंजरासर की रोही में स्थित खसरा न. 81 व 82 में 12 बीघा अगुणा दिशा वाला भाग काश्त करने हेतु दिया था, जो वापिस छीन ली है, शेष भुमि का कब्जा देने से स्पष्ट इंकार हो गये। वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित 17.08 बीघा भुमि कमाण्ड, 8.00 बीघा अनकमाण्ड तथा 35.05 बीघा बारानी भुमि में वादीगण का 1/2 हक व हिस्सा जरिये राजस्व रिकार्ड प्रमाणित है। वादीगण अपने हिस्सानुसार कमाण्ड, अनकमाण्ड बारानी भुमि में विभाजन के फलस्वरूप 8.14 बीघा कमाण्ड व 4.00 बीघा अनकमाण्ड तथा 17.00 बीघा 12, 1/2 बिस्वा बारानी भुमि पाने के हकदार है। प्रतिवादीगण ने मौके पर वादीगण को केवल 6.00 बीघा अनकमाण्ड भुमि काश्त करने हेतु दी है। कमाण्ड भुमि में से प्रतिवादीगण ने वादी को अपने हिस्से के अनुसार 8.14 बीघा भुमि कमाण्ड तथा अनकमाण्ड बारानी में भी 15–12.1/2 बीघा भुमि अधिक दबा रखी है। जिस पर प्रतिवादीगण अनुचित लाभ उठा रहे है। इसलिए वादीगण को दावा करना पड रहा है। अतः में वाद पत्र प्रस्तुत कर दावा की मद संख्या 11 क ता घ अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से दिनांक 04.09.1996 को जरिये वकील जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया, जवाब दावा की प्रति वकील वादीगण को दी गई। वकील वादीगण ने दिनांक 22.04.1998 को जवाबुल जवाब पेश किया। वकील प्रतिवादी को दिये जाने पर वकील प्रतिवादीगण ने दिनांक 22.12.1998 को जवाबुल जवाब का जवाब अन्तर्गत आदेश 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद बिन्दुओं का जवाबुल जवाब के बिन्दुओं को अस्वीकार किया। जवाब स्टेट [illegible] नही होने पर जवाब दावा बन्द किया गया। उभय पक्ष द्वारा जवाबदावा व जवाबुल जवाब पेश होने पर तहरीरी साक्ष्य लिए जाकर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तनकी न. 1 :– आया वादीगण का कब्जा इस भुमि पर पिछले 12 वर्षो में कभी भी रहा है। यदि नही तो वाद पत्र पर इसका क्या असर है ? –वादीगण

तनकी न. 2 :– आया वाद पत्र मियाद बाहर होने बार्ड बाई लॉ है ? –प्रतिवादीगण

तनकी न. 3 :– आया प्रतिवादीगण का कब्जा एडवर्स हो चुका है। इस आधार पर प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत भुमि कुल अपने नाम से घोषणा कराने के पात्र है ? –प्रतिवादीगण

तनकी न. 4 :– आया वादीगण प्रतिवादीगण न. 1 ता 5 वाद अन्तर्गत भुमि के ब.हि.बराबर के सहका तकार है ? –वादीगण

तनकी न. 5 :– आया वादीगण उक्त विवादित भुमि में अपने 1/2 हक व हिस्सा के फलस्वरूप अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भुमि खाता विभाजन कराने के हकदार है ? –वादीगण

तनकी न. 6 :– अन्य अनुतोष ?

वाद में तनकीयात कायम होने पर साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण लिये गये। साक्ष्य वादीगण में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श न. 1 ता 3 प्रस्तुत हुये तथा गवाहान पीडब्ल्यू–1 हुक्माराम पुत्र जीवनराम, पीडब्ल्यू–2 हरीराम पुत्र जीवनराम तथा साक्ष्य प्रतिवादीगण में डीडब्ल्यू–1 ओमसिह पुत्र भुरसिह, डीडब्ल्यू–2 जैसाराम, डीडब्ल्यू–3, मनीराम के साक्ष्य करवाये गये। इसके अलावा किसी के साक्ष्य नही करवाये जाने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई व बहस सुनकर इसी न्यायलय ने दिनांक 29.03.2001 को वाद वादीगण खारीज कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ अपील न. 78/2004 बअनवान नाथी वगैरा बनाम राजस्थान सरकार माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगगांनगर के समक्ष पेश हुई। जो दिनांक 16.03.2009 को स्वीकार होकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.03.2001 निरस्त कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड कर पक्षकरो को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर वाद का निर्णय नियमानुसार पुनः गुणावगुण पर करने का आदेश दिया व पक्षकारों को इस न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिये। इस निर्णय के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील डिक्री 3378/2009/श्रीगगांनगर बअनवान केशुराम आदि बनाम नाथी आदि पेश हुई। जिसमे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्ड पीठ ने दिनांक 27.02.2023 के द्वारा अपील/निगरानी नाथी की द्वितीय अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनाक 16.03.2009 को सही मानते हुये एवं मामला कब्जा मुखालिफाना सह काश्तकारो के विरूद्व ना मानते हुये पुनः सुनवाई कर निर्णय करने के निर्देश को सही माना व मामला पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया।

पत्रावली पुनः प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई वादीगण की ओर से श्री शिशपाल वकील उपस्थित आये इनके द्वारा मूल वाद के प्रतिवादी न. 1 व 3 के फौत होने पर उनके वारिसो को पक्षकार बनाये जाने का [illegible] पत्र प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार कर संशोधित शीर्षक वाद शामिल मिसल कर [illegible] तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6, 2, 3/1 से 3/3 [illegible] सम्मन शामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित ना होने के कारण एकतरफा कार्यवाही के आदेश कर वादी के साक्ष्य प्राप्त किये वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श न. 4 ता 17 [illegible] हुये व शपथ पत्र हरिराम पुत्र जीवण प्रस्तुत किये जो भी शामिल पत्रावली हुये बाद साक्ष्य आने प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा आदेश होने के साक्ष्य बन्द कर पक्षकारान के तर्क सुने गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

योग्य अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया कि मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त मौजा हिंजरासर जागीर महाजन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगाननगर सम्वत् 2003 सरदारा वल्द कुशला व जीवण वल्द पूर्ण कौम जाट सयाग साकिन हिंजरासर के नाम मौजा हिंजरासर के खसरा नं. 37 में 25.18 बीघा व 81 में 29.19 बीघा व खसरा न. 82 में 5.11 बीघा कुल 61.08 बीघा भूमि प्रदर्श नं. 4 के अनुसार खातेदारी दर्ज कागजात राज ब.हि.बराबर प्रत्येक 1/2 हिस्सा थी जो वर्तमान में मुताबिक जमाबन्दी हिंजरासर जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 24/23 में खसरा न. 82 में 1.4040 हैक. व खसरा न. 162/81 में 7.5140 हैक. कुल 8.918 हैक. सरदारा वल्द केशू के वारिसो मघी वगैरा के नाम 1/2 हिस्सा व जीवण के वारिसो नाथी वगैराह (प्रतिवादीगण) के नाम 1/2 हिस्सा बतौर खातेदारी दर्ज कागजात है। इसी प्रकार रोही हिंजरासर की खसरा न. 37 की 25.10 बीघा भूमि चक 4 सीएम तहसील सूरतगढ़ के खाता न. 37/32 सम्वत् 2073 ता 76 के पत्थर न. 84/3 व 84/11 में 3.390 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 5 सीएम में तहसील सूरतगढ़ के खाता न. 25/33 में जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के पत्थर न. 84/4 में 1.518 हैक. व पत्थर न. 84/12 में 1.518 हैक. कुल 3.036 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड फिट हुआ व सरदारा व जीवण के वारिसो के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श न. 5 से रोही हिंजरासर का इन्तकाल न. 10 दिनाक 10.12.1978 से खसरा न. 81 का 29.14 बीघा व खसरा न. 82 का 5.11 बीघा कुल 35.10 बीघा व चक 4 सीएम की खसरा गिरदावरी में प्रदर्श न. 8 में अंकित इन्तकाल सख्या 3 दिनाक 10.12.1978 का अंकन व चक 5 सीएम की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035 ता 38 प्रदर्श न. 10 में इन्तकाल के अंकन से सरदारा के फौत होने के बाद उसके 1/2 हिस्सा का रकबा उसके वारिस मघी बेवा सरदारा व केसू – धन्ना–जैसा पिसरान सरदारा व जमनी–चुनी बेवा सरदारा के नाम व जीवण के 1/2 हिस्सा का रकबा जीवण के वारिस नाथी बेवा जीवण, हुक्मा–हरू पिसरान जीवण, नारगी पुत्री जीवण के नाम दर्ज हुआ है। रोही हिंजरासर के विरास्तन इन्तकाल केसू पुत्र सरदारा व जैसा पुत्र सरदारा की उपस्थिति में स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार रोही हिंजरासर व चक 4 सीएम व चक 5 सीएम का जैरप्रकरण रकबा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कागजात पूर्ण रूप से सिद्व है। प्रत्येक काश्तकार का मौका पर कब्जा न्याय अवधारणा के अनुसार मौका पर माना जाने योग्य है इस अवस्था में काश्तकारों का विभाजन के नियमो के अनुसार खाता विभाजन कर अलग–अलग खाता कायम करने व विलोपित भूमि का वादीगण को कब्जा दिलाये जाने की मांग की।

योग्य पेरोकार राज्य पक्ष की और से राज्य हित को ध्यान में रखते हुये वाद निर्णय का निवेदन किया उनके द्वारा पक्षकारान के नाम वाद वर्णित भूमि होना दस्तावेजी रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार स्वीकार किया गया। पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली को तर्को के परिपेक्ष्य में पठन व मनन किया गया तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार से है।

तनकी न. 1 :– आया वादीगण का कब्जा इ[illegible] पिछले 12 वर्षो में कभी भी रहा है।

यदि नही तो [illegible] है।

–वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी का भार वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी को सिद्व करने के लिये वादी स्वंय हुक्मा वल्द जीवण व हरिराम पुत्र जीवण के ब्यान करवाये है जबकि प्रतिवादी द्वारा ओम सिह पुत्र भूरसिह डीडब्लयू –1, जैसा पुत्र सरदारा डीडब्लयू –2, मनीराम पुत्र भीयांराम

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

डीडब्लयू –3, के शपथ पत्र पर ब्यान दर्ज किये गये है। रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त होने पर हरिराम पुत्र जीवण में शपथ पत्र पर पुनः अपने बयान दर्ज करवाये है। इस स्तर पर मेरा यह मानना है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी एंव माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनाक 27.02.2023 के पैरा सख्या 10 में स्पष्ट यह उल्लेख किया है कि सह काश्तकारो के मध्य प्रतिकूल कब्जा का सिद्वान्त लागू नही होता द्वितीय प्रतिवादीगण द्वारा यह कही कथन नही किया गया कि वादीगण के अधिकारो को इन्कारी उनके द्वारा किस दिनांक को की गई स्वंय वादीगण के वाद के पैरा सख्या 4 में वाद कारण दिनाक 01.07.1992 को बताया है यदि इस दिनांक को माना जावे तो वाद दिनांक 22.07.1995 को प्रस्तुत हो गया और इस दिन से वाद चला आ रहा है। सन् 1992 से 1955 मात्र 2–2.5 वर्ष में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत हो गया। पक्षकारान में कब्जा मुखालफाना का सिद्वान्त कतई वादीगण पर प्रभावशील नही है। वाद पत्र में कब्जा विभाजित खाते की भूमि बजरिये पुलिस दिलाने का प्रार्थना की गई है। इसलिये यह माना जाने योग्य है कि सन् 1992 तक सहकाश्त भूमि पर संयुक्त कब्जा चला आ रहा था। आज भी भूमि सहकाश्त में बतौर खातेदारी पक्षकारान के नाम दर्ज कागजात है। तनकी में दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी आदि व स्वयं वादी के शपथ पत्र के ब्यान में वादी दायरी से 2–3 वर्ष पूर्व वाद ग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा रहा है। वे पूर्व में नाबालिग थे एक सहकाश्तकार (का कब्जा) कानून की अवधारणा अनुसार सभी अकिंत काश्तकारो का मानने योग्य है। दस्तावेजी साक्ष्य इसकी पुष्टि करते है। पूर्व में इस तनकी का निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर के वर्तमान निर्णय दिनाक 27.02.2023 के पैरा सख्या 10 में वर्णित न्याय निर्देश के विपरीत दर्ज कर दी गई है जो कि निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यह तनकी इस प्रकार निर्णय की जाती है कि वाद दायरी से पूर्व 12 वर्ष के अन्दर वादीगण का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कब्जा बना रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा उनके अधिकारो से इन्कारी वर्ष 1992 से पूर्व कभी भी नही की गई अधिकारो से इन्कारी प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने के दिन से मानी जाने योग्य हो सकती है। इससे पूर्व नही इसलिये तनकी न. 1 पूर्व रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से बहक वादी निर्णय की जाती है। वाद दायरी से पूर्व उनका कब्जा न्याय सिद्वान्त अनुसार न्यायिक सोच Presumption of law माना जाने योग्य है।

तनकी न. 2 :– आया वाद पत्र मियाद बाहर होने बार्ड बाई लॉ है ?

–प्रतिवादीगण

इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था, उक्त तनकी को सिद्व करने के लिये उनके द्वारा पर्चा खतौनी 2003 व रसीदात सम्वत् 2007 ता 08 प्रस्तुत है। जिसमें उक्त भूमि का अकेला काश्तकार सरदारारराम अंकित किया गया है। इस तनकी का विवेचन कर पूर्व में गलत निर्णय इस स्तर पर जाना जाने योग्य है। क्योकि वादी द्वारा मौजा सिंगरासर जागीर महाजन की खतौनी बन्दोबस्त दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] 3 सम्वत् 2003 प्रस्तुत की गई। जो कि फोटो प्रमाणित प्रति है। इस [illegible] खातेदारान में मौजा हिंजरासर के खसरा न. 37 में 25.18 बीघा व खसरा न. 8 [illegible] 29.14 बीघा व खसरा न. 82 में 5.11 बीघा कुल 61.08 बीघा का सरदारा वल्द कुशला व जीवण वल्द पूर्ण कौम जाट सयाग साकिन देह ब.हि.बराबर का खातेदार दर्शाया गया [illegible] यहां यह उल्लेख किया जाना उचित है कि तनकी अधिकारो के सम्बंध में ना होकर यह है कि वाद समयावधि बाहर होने से कानूनी रूप से वर्जित Barred by law होने से सुनवाई योग्य नही। इस तनकी का पूर्व में विवेचन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सही होना प्रतीत नही होता। प्रथमतः यह वाद घोषणा का ना होकर खाता विभाजन का है। जिसमें समयावधि की सीमा काश्तकारी अधिनियम के अनुच्छेद में नही दी गई है। द्वितीय अकिंत सहखातेदार काश्तकार को विभाजन के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता। प्रतिवादी द्वारा वादी को अधिकारो से वंचित कब किया गया कही स्पष्ट उल्लेख नही माना वाद कथन को पढ़ा जाने पर कब्जा मुखालफाना विरूद्व वादी नही बनता। वाद किसी भी प्रकार से विधी वृजित नही है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी न. 3 :– आया प्रतिवादीगण का कब्जा एडवर्स हो चुका है। इस आधार पर प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत भुमि कुल अपने नाम से घोषणा कराने के पात्र है ?

–प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा मात्र मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गय है। जबकि प्रस्तुत जमाबन्दी दस्तावेजी रिकॉर्ड व उसके साथ जुड़ी सत्यता की सोच जो साक्ष्य अधिनियम अनुसार वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी रिकॉर्ड से वादीगण को अधिकारो से कब इन्कारी की गई दस्तावेज से साबित नही है। यह तनकी सन्देह से परे सिद्व ना होने से विरूद्व प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी न. 4 :– आया वादीगण प्रतिवादीगण न. 1 ता 5 वाद अन्तर्गत भुमि के ब.हि.बराबर के सहकाश्तकार है ?

–वादीगण

इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण सम्वत् 2003 की खतौनी खातेदारान पेश की गई है। जो वर्तमान जमाबन्दी की अनुरूप है। दस्तावेजी रिकॉर्ड से तनकी बहक वादी सिद्व होती है। अतः तनकी नं. 4 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी न. 5 :– आया वादीगण उक्त विवादित भुमि में अपने 1/2 हक व हिस्सा के फलस्वरूप अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भुमि खाता विभाजन कराने के हकदार है ?

–वादीगण

इस तनकी का भार वादीगण पर था तनकी न. 5 को सिद्व करने के लिये वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी वर्तमान प्रस्तुत की है। जिसमें वे उक्त खाते में जीवण के हिस्से की 1/2 के बतौर अकिंत खातेदार काश्तकार है। प्रत्येक अंकित काश्तकार को विभाजन के नियमो के अनुसार अंकित हिस्से का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब तथा कमाण्ड में से कमाण्ड व अनकमाण्ड में से अनकमाण्ड खाता विभाजन करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी न. 5 बहक वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी न. 1 व 4 व 5 बहक वादी तनकी न. 2 व 3 विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णय होने से वाद वादी स्वीकार कर रोही हिंजरासर तहसील सूरतगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 खाता न. 24/23 में खसरा न. 82 में 1.404 हैक्. व खसरा न. 152/81 में 7.514 हैक्. बारानी कुल 8.918 हैक्. बारानी का खाता विभाजन की स्वीकृति दी जाती है। विभाजन के नियमो के अनुसार मघी पत्नी सरदारा, केसू, धन्ना, जैसा पिसरान सरदारा, जमना, चुनी पुत्री सरदारा को 1 [illegible] व नाथी बेवा जीवण, हुक्मा, हरू (हरिराम) पिसरान जीवण, नोरंगी पुत्री जीवण [illegible] ब.हि.बराबर का खाता विभाजन के लिये अच्छी में से अच्छी [illegible] से कमाण्ड व अनकमाण्ड में से अनकमाण्ड रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव को नियमानुसार बनाकर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ के अलग से पत्र जारी हो। इसी प्रकार जमाबन्दी चक 4 सीएम सम्वत् 2072 ता 75 खाता न. 37/32 में अकिंत पत्थर न. 84/3 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किला न. 25/0.253 हैक. व पत्थर न. 84/11 के किला न. 8, 11 ता 14, 17 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 में 3.137 हैक. इस प्रकार कुल 3.390 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 5 सीएम के जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 खाता न. 25/33 के पत्थर न. 84/4 के किला न. 4 ता 7, 14–15 के 1.518 हैक. व पत्थर न. 84/12 के किला न. 1 ता 4, 10–11 में 1.518 हैक. इस प्रकार कुल 3.036 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का खाता विभाजन कर जीवण वल्द पूर्ण के वारिसान वादीगण नाथी पत्नी जीवण – नोरंगी पुत्री जीवण–हुक्मा–हरू (हरिराम) पिसरान जीवण जो 1/2 हिस्सा के अंकित खातेदार काश्तकार है व शेष 1/2 हिस्सा सरदारा के वारिस प्रतिवादीगण मघी बेवा सरदारा, केशूराम–जमना–धन्नाराम–चुनी पुत्र/पुत्रीयान सरदारा कौम जाट के ब.हि.बराबर खातेदारी का खाता विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब व कमाण्ड में से कमाण्ड व अनकमाण्ड में से अनकमाण्ड रास्ता व खाला की सुविधा को ध्यान में रखते तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाया जावे। बाद आने विभाजन प्रस्ताव अन्तिम आदेश हेतु पक्षकारान के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली प्रस्तुत हो। विभाजन प्रस्ताव स्वीकृति पर काश्तकारों को विभाजित हिस्से का कब्जा मार्फत तहसीलदार सूरतगढ़ दिलाये जाने की स्वीकृति दी जाती है एवं प्राथमिक आदेश अनुसार डिक्री जारी हो। तब तक पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
–::प्राथमिक परचा डिक्री::–
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
(बइजलास :–सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. नाथी बेवा जीवणराम
2. हरीराम पुत्र जीवणराम
3. हुक्माराम पुत्र जीवणराम

} अकवाम जाट निवासीयान हिंजरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

4. नोरंगी पुत्री जीवणराम पत्नी भीवराज जाति जाट साकिन 24 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनुपगढ़ राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. केशुराम (फौत) पुत्र सरदाराराम जरिये वारिस :–
1/1 तीजा पत्नी सरदाराराम
1/2 भगवानाराम
1/3 हीराराम
1/4 भारूराम
1/5 पुरखाराम
1/6 खेताराम

} पिसरान सरदाराराम अकवाम जाट साकिनान हिंजरासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

2. जैसाराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन हिंजरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3. धन्नाराम(फौत) पुत्र सरदाराराम जाति जाट जरिये वारिस :–
3/1 रूपा पत्नी
3/2 हेमाराम पुत्र
3/3 जगदीश पुत्र
3/4 अनोपराम पुत्र
3/5 लालाराम पुत्र
3/6 अमरचन्द पुत्र
3/7 देवीलाल पुत्र

} धन्नाराम अकवाम जाट साकिनान हिजरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

4. रेवन्ताराम
5. हुक्माराम
6. पन्नाराम
7. मोहन
8. खीयांराम

} पुत्रगण जमना पुत्री सरदाराराम पत्नी चेतन अकवाम जाट निवासीयान महादेव वाली ढ़ाणी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर राज0

9. चुन्नी पुत्री सरदाराराम पत्नी शेराराम अकवाम जाट साकिनान बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
10. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88,183,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 119 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री शिशपाल शर्मा व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार कर रोही हिंजरासर तहसील सूरतगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 खाता न. 24/23 में खसरा न. 82 में 1.404 हैक. व खसरा न. [illegible] 7.514 हैक. बारानी कुल 8.918 हैक. बारानी का खाता विभाजन की स्वीकृति दी जाती है। [illegible]जन नियमो के अनुसार मघी पत्नी सरदारा, केसू, धन्ना, जैसा पिसरान सरदारा, जमना, चुन्नी पुत्री सरदारा [illegible] 2 हिस्सा व नाथी बेवा जीवण, हुक्मा, हरू (हरिराम) पिसरान जीवण, नोरंगी पुत्री जीवण को 1/2 [illegible] ब.हि.बराबर का खाता विभाजन के लिये अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब व कमाण्ड में से कमाण्ड व अनकमाण्ड में से अनकमाण्ड रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव को नि[illegible]नुसार बनाकर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ के अलग से पत्र जारी हो। इसी प्रकार जमाबन्दी चक 4 सीएम सम्वत् 2072 ता 75 खाता न. 37/32 में अकिंत पत्थर न. 84/3 के किला न. 25/0.253 हैक. व पत्थर न. 84/11 के किला न. 8, 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार–2– पेज पर

ता 14, 17 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 में 3.137 हैक. इस प्रकार कुल 3.390 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 5 सीएम के जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 खाता न. 25/33 के पत्थर न. 84/4 के किला न. 4 ता 7, 14—15 के 1.518 हैक. व पत्थर न. 84/12 के किला न. 1 ता 4, 10—11 में 1.518 हैक. इस प्रकार कुल 3.036 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का खाता विभाजन कर जीवण वल्द पूर्ण के वारिसान वादीगण नाथी पत्नी जीवण — नोरंगी पुत्री जीवण—हुक्मा—हरू (हरिराम) पिसरान जीवण जो 1/2 हिस्सा के अंकित खातेदार काश्तकार है व शेष 1/2 हिस्सा सरदारा के वारिस प्रतिवादीगण मघी बेवा सरदारा, केशूराम—जमना— धन्नाराम—चुनी पुत्र/पुत्रीयान सरदारा कौम जाट के ब.हि.बराबर खातेदारी का खाता विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब व कमाण्ड में से कमाण्ड व अनकमाण्ड में से अनकमाण्ड रास्ता व खाला की सुविधा को ध्यान में रखते तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाया जावे। बाद आने विभाजन प्रस्ताव अन्तिम आदेश हेतु पक्षकारान के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली प्रस्तुत हो। विभाजन प्रस्ताव स्वीकृति पर काश्तकारों को विभाजित हिस्से का कब्जा मार्फत तहसीलदार सूरतगढ़ दिलाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

नोज......ग......मुबलिग......ग......बाबत......ग......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......ग...... फस्दों की पालना......ग......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12.06.2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested